

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ.3-52/2006/10-2

भापोल, दिनांक 26.05.2011

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
मध्य प्रदेश.

विषय:- बांस वृषारोपण/बिगड़े बांस वनों के सुधार से नियमित बांस उत्पादन बाबत ।

प्रदेश में बांस के नए वनों की स्थापना बांस रोपण एवं बिगड़े बांस वनों के सुधार के माध्यम से की जा रही है । यह अनुभव किया गया है कि बांस रोपण क्षेत्रों के सामयिक उपचार न होना एवं उस पर चराई, अग्नि इत्यादि क निरन्तर जैविक दबाव के कारण बांस के भिरे गुथ जाते हैं तथा ऐसा क्षेत्र पूर्णतः अनुत्पादक हो जाता है । यदि ऐसे क्षेत्र का भलीभंति उपचार किया जाए तो इन्हे पुनः उत्पादक बनाया जा सकता है । इस हेतु बांस के गुथे भिरो की सफाई, भिरो के चारों ओर मिट्टी चढाई, भू-जल संरक्षण आदि कार्य कर अच्छी गुणवत्ता के उपयोगी बांस प्राप्त किये जा सकते हैं ।

2/ यद्यपि विभागीय योजनाओं से ऐसे क्षेत्रों के उपचार हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है परन्तु यह राशि उपचार हेतु पर्याप्त नहीं होती है । यह एक रोजगार मूलक कार्य है, अतः उक्त क्षेत्रों के उपचार की योजना बनाकर मनरेगा मद से धनराशि प्राप्त की जाए ।

3/ बांस रोपण की सफल स्थापना एवं बिगड़े बांस वनों के पुनरोत्पादन के उपरांत इन क्षेत्रों के विदोहन की योजना बनाई जाए । इस हेतु कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप अथवा वन समितियों को आवंटित क्षेत्रों हेतु निर्मित सूक्ष्म प्रबंध योजना के अनुरूप विदोहन कार्य किया जाए ताकि ऐसे बांस वनों के बिगड़ने की स्थिति पुनः न बने ।

(वी.एन.पाण्डे)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग

पृष्ठ.क्रमांक एफ.3-52/2006/10-2

भोपाल, दिनांक 26/05/2011

प्रतिलिपि:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग